(194)

(301)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.) लिंककोर्ट रीवा(म.प्र)

निगरानी/4200-III-14

Rs.20/-

शीतल सिंह तनय श्यामले सिंह निवासी ग्राम–सतनरा कोठार तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. रामकुमार सिंह तनय बेंचन सिंह निवासी ग्राम–सतनरा पवाई तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी प्रकरण क्र. 105/निगरानी/2008–09 जिसके द्वारा तहसीलदार गोपद बनास द्वारा प्रकरण क्र.59/अ–19/1984–85 में पारित आदेश दिनांक–17.09.1985 को अपास्त घोषित किया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी अधीन प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य इस तरह रहा है कि आवेदक ग्राम–सतनरा कोठार का कादीमी निवासी होकर वर्ष 1980 के पूर्व से आराजी क्र.544 रकवा 0.607 है. स्थित ग्राम–सतनरा पवाई पर काबिज रहने की स्थिति में भूमिहीन कृषक होते हुये व्यवस्थापन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त आराजी पर अनावेदक क्र.1 का कोई भी हित स्वत्व एवं कब्जा

XXXIX(a)-BR(H)-11

(194)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4200-III / 14** जिला–सीधी

शीतल सिंह / रामकुमार सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 105 / निग0 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	